न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 164/2019

GCMS NO. : 2019/00270

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. सुभाषचन्द्र पुत्र रामकुमार जाति– खटीक, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. रामेश्वर लाल पुत्र रतूराम जाति– खटीक निवारी– जैतारण। 2. विक्रम पुत्र घनश्याम जाति– सरगरा, निवारी– ठाकरवास। 3. प्रहलाद पुत्र सोनिया जाति– रेगर, निवासी– जैतारण। 4. विजयराज पुत्र भोलाराम जाति– बावरी, निवासी– राणीवाल। 5. पेमाराम पुत्र सतूराम जाति– खटीक, निवासी– जैतारण। 6. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली, राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 02/12/2019

उपस्थित:. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 16/02/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 09–03 बीघा, खसरा नम्बर 103/12 रकबा 1–11 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 10–14 बीघा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में सायल एवं गैरसायलान सभी माफिक अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती है, जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड या ऊ ण्डस् के [illegible] मौके पर उपरोक्त वर्णित आराजी पक्षकारान अपनी सहमति से अपने [illegible] काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा आपसी सहमति से [illegible] कर रखा है। परन्तु कानूनन बंटवाडा नही हो रखा है तथा मौके पर हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर का श्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती होने एवं कानूनन बाई मिटस एण्ड या बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नहीं होने से सायल को अनेको प्रकार की कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

…यल अपने हिस्से में खाद, बीज डालकर उसे उपजाउ नहीं बना सकता है, कृषि कुंआ नहीं खुदवा सकता है। विधुत कनेक्शन नहीं ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा सकता है। अन्य और सरकारी सहायता से वंचित रह रहा है एवं गैरसायलान आये दिन सायल के हक हिस्से की आराजी में दखलंदाजी व दस्तंदाजी करते है। इसलिए सायल की और से यह बंटवाडा का बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाडा नही होने से विवादित आराजी को गैरसायलान अपनी मनमर्जी से उपयोग उपभोग में ले रहे है एवं गैरसायलान जो कि संख्या में अधिक होने से एवं अन्य भूमाफियाओं से मिलकर के सायल के हक हिस्से की आराजी में हस्तक्षेप व दखलंदाजी कर रहे है जबकि सायल का हिस्सा मौके पर अलग है एवं वहां पर सायल काबिज है परन्तु फिर भी जमीन कीमती होने से गैरसायलान जबरन सायल को बेदखल कर अपना हक जमाने की नापाक हरकते कर रहे है तथा गैरसायलान सायल की भूमि में गैर कानूनी रूप से हस्तक्षेप कर सायल को मौके से बेदखल करेगें एवं सायल की जमीन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगे तो सायल को अपूणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही है। यदि सायल की आराजी बिना बंटवाड़ा कराये गैर कानूनी कृत्य होता तो सायल अपने साम्पैतिक अधिकारों से हंउच3 वंचित होगा। इसलिए सायल का यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का जब तक कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाऊण्डस् के बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक गैरसायलान आराजी में किसी प्रकार से मौके की स्थिति को रदो बदल करते है या बिना बंटवाड़ा करवाये बिना किसी प्रकार से हिस्से का अंकन करवाये अजनबी क्रता को रहन, बेचान, वसीयत या अन्य हस्तान्तरण करते हो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसा करने का गैरसायलान को कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब होते है तो मौके पर लड़ाई झगडे होगें, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् बढेगी एवं अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी। जिससे सायल अपने जायज हक व अधिकारो से हमे शा के लिये महरूम हो जायेगां। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 27.11.2019 को गैरसायलान द्वारा सायल के हक हिस्से की चारो तरफ चल रही बाउण्ड। दीवार के निर्माण को गिराकर वहां पर पड़े पत्थरों को चोरी कर ले गये एवं अपने पत्थर लाकर के सायल की कीमती जमीन की जगह पर तारबंदी करने की कोशिश की तब सायल ने उनको ऐसा करने से मना किया समझाइ[illegible]वाड़ा का कहा लेकिन उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस् [illegible] करने का कहा तो गैरसायलान इन्कार हो गये एवं सायल को धमकी दी [illegible] तो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना कब्जा जमा लेने की [illegible]शिश भी की और यदि गैरसायलान अपने गैर कानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाते है तो सायल अपने जायज हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगा तथा एवं सायल अपने आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपयोग उपभोग नहीं कर सकेगा एवं अपने साम्पैतिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे सायल को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन रूपयो मे भी नही आंका जा सकेगा। गैरसायलान अजनबी व्यक्तियो के साथ मिलकर धनबल के आधार पर आये दिन सायल की आराजी मे दखल व दस्तन्दाजी कर रहे है एवं उन्हे बेदखल करने की पुरी कोशिश कर रहे है। यदि गैरसायलान अपने इन गैरकानूनी हो जायेगा। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायल को उसके कब्जा का श्त की भूमि से बेदखल कर देते है, या उसके उपयोग में दखलंदाजी करते है सायल के निमार्ण कार्य में बाधा पैदा करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी, तथा सायल हमेशा के लिए अपने हक व हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगे तब सायल को अपूर्णीय होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही है इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित है तब ऐसी परिस्थिति में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायल के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायल इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी सायल अपने हिस्से की आराजी में का श्त के मुतालिक कुल कार्य खड़ाई, बुवाई, कटाई करे या कच्चा पक्का निमार्ण करे या बाउण्डी वाल करे तो उसमें गैरसायलान उनके हाली, एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि दखल व दस्तन्दाजी नही करे, एवं न ही सायल के हक हिस्से की भूमि में कोई हस्तक्षेप ही करे एवं न ही तारबंदी करे न ही पत्थर डाले एवं इस भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाये जरिये रहन, बेचान, वसीयत, बक्शीश के अन्य हस्तान्तरण ही करे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरसायलान को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार बार आवाजें दिलाई गई एवं बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी/प्रार्थी की सुनी गई।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एवं भू अभिलेखीय दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 09–03 बीघा, खसरा नम्बर 103/12 रकबा 1–11 बीघा ग्राम जैतारण जिला पाली प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सयुंक्त विभाजित सह खातेदारी भूमि हैं जिसके कानूनन बंटवाड़े बाबत् वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है। सहखातेदारी भूमि के सम्बन्ध में यह मान्य सिद्धांत है कि ऐसी भूमि के प्रत्येक भाग प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अधिकार एवं कब्जा निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थी का यह कथन कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में केवल उसी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भलीभांति साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :– प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में सुविधा का सतुंलन केवल प्रार्थी के पक्ष में ही निहित है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :– प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूर्णनीय क्षति होनें की पूर्ण आशंका है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरुद्ध साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/02/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)